सप्तदश

बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि 24 फाल्गुन, 1942 (श०)
15 मार्च, 2021 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या **102**

(1) गृह विभाग	.. ..	60
(2) सामान्य प्रशासन विभाग	.. ..	10
(3) वित्त विभाग	.. ..	06
(4) उद्योग विभाग	.. ..	07
(5) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	.. ..	06
(6) गन्ना उद्योग विभाग	.. ..	10
(7) सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग	.. ..	03
	कुल योग --	102

स्थानीय थाना में एफ0 आई0 आर0 कराना

*1891. श्रीमती ज्योति देवी (क्षेत्र संख्या-228 बाराचट्टी (अ0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत थाना-मोहनपुर का एफ0 आई0 आर0 थाना-बाराचट्टी में, थाना-चेरकी का एफ0 आई0 आर0 थाना-बोध गया में और थाना-डोभी का एफ0 आई0 आर0 थाना-शेरघाटी में होता है जिससे लोगों को आर्थिक एवं शारीरिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार स्थानीय थाना के अंदर ही एफ0 आई0 आर0 करने की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1892. श्री भाई वीरेन्द्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पटना स्मार्ट सिटी में पदस्थापित चीफ फाइनेंस पदाधिकारी, बिस्कोमान, पटना एवं हिस्सेदार श्री विनय कुमार द्वारा वर्ष 2013 से 2018 तक एच0 एल0 साह एसोसिएट नामक कम्पनी की स्थापना कर सेन्ट्रल बैंक, खाता संख्या 3569827114, फ्रेजर रोड, पटना से 10 लाख रुपया इलाहाबाद बैंक, खाता संख्या 50382568237, हनुमाननगर, पटना से पन्द्रह लाख रुपया एवं आंध्रा बैंक, खाता संख्या 175913100000195 डॉक्टर कॉलनी, हनुमाननगर, पटना से तीस लाख रुपया सहित अन्य बैंकों से सरकारी राशि की अवैध तरीक से निकासी की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित कम्पनी एवं दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराना

*1893. श्री सुरेन्द्र राम (क्षेत्र संख्या-119 गरखा (अ0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि माननीय विधायकों के सुरक्षा के लिये उनके अंगरक्षकों को दिये जाने वाले हथियार यथा पिस्टल एवं कारबाईन की मारक क्षमता मात्र बीस मीटर होती है, जबकि आमलोगों को अपनी रक्षा हेतु सरकार द्वारा दिये जाने वाले लाइसेंसी हथियार (राइफल) की मारक क्षमता 300 मीटर से अधिक होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार अंगरक्षकों को अधिक दूरी मारक क्षमता वाले अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चीनी मिलों को चालू कराना

*1894. श्री सिद्धार्थ पटेल (क्षेत्र संख्या-125 वैशाली)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिले के चीनी मिल द शीतलपुर गोरौल वर्षों से बंद होने के कारण उस क्षेत्र के कृषकों की स्थिति काफी दयनीय हो गई है, यदि हाँ, तो सरकार बंद पड़े उक्त चीनी मिल को चालू कराने या इसके स्थान पर ईथनॉल उत्पादन संयंत्र लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जिला बनाना

*1895. श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-179 बाढ़)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत बाढ़ अनुमंडल सबसे पुराना अनुमंडल है तथा इसके बाद बने कई अनुमंडल को जिला बना दिया गया है जबकि बाढ़ को जिला का दर्जा अभीतक नहीं दिया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार अनुमंडल बाढ़ को जिला बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*1896. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चिरैया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत चिरैया विधान सभा के पताही प्रखंड के पदुमकेर ग्राम में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, जिसके कारण कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि का भुगतान करना

*1897. श्री गुंजेश्वर साह (क्षेत्र संख्या-77 महिषी)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहारा इण्डिया नन बैंकिंग कम्पनी, गंगा कॉम्प्लेक्स, कंकड़बाग मेन रोड, पटना में सुश्री नेहा कुमारी, खाता संख्या 16294801348 सहारा 'ए' सलेक्ट राशि रुपया 10,000 (दस हजार) मात्र, श्री रवि कुमार पाण्डेय, सहारा 'ए' सलेक्ट सर्टिफिकेट नम्बर 925006410377 राशि रुपया 7,000 (सात हजार) मात्र, दूसरा सर्टिफिकेट नम्बर 925006410378 राशि रुपया 15,000 (पन्द्रह हजार) मात्र, श्री प्रेम चन्द्र राम, सहारा क्यू शॉप रसीद संख्या 71035246315, राशि रुपया 20,000 (बीस हजार) का एवं अन्य निवेशकों द्वारा निवेश किया गया है किन्तु उक्त खाताधारियों के परिपक्वता अवधि पूरी होने के उपरान्त भी कम्पनी द्वारा भुगतान नहीं किया गया है तथा कई बार डिमांड करने के बावजूद भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार खाताधारकों की राशि का पूर्ण भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना भवन का निर्माण

*1898. श्री प्रणव कुमार (क्षेत्र संख्या-165 मुंगेर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत बरियारपुर प्रखंड में संचालित हरिणमार थाना का अपना भवन नहीं रहने के कारण विधि व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण में पुलिस कर्मियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा यहाँ पर हर वर्ष बाढ़ की विभिषिका आती है जिसका सम्पर्क बरसात के दिनों में जिला मुख्यालय से कट जाता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक हरिणमार थाना भवन का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

पद संरचना एवं वेतनमान देना

*1899. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा संकल्प संख्या 660, दिनांक 8 फरवरी, 1999 द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्यकर्मियों को समरूप कोटि के केन्द्र सरकार के कर्मियों के हू-ब-हू पद संरचना एवं वेतनमान दिया जायेगा, किन्तु आशुलिपिक सेवा का गठन केन्द्रीय सेवा के अनुरूप आजतक नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त संकल्प अनुपालन करते हुए केन्द्रीय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के अनुरूप बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा में पद संरचना एवं वेतनमान देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आधार पर बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के सृजित पदों का वेतनमान समान है जबकि सेवाशर्ते भिन्न हैं ।

वस्तुस्थिति यह है कि केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में कुल-6 पद सोपान हैं परन्तु बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा में आवश्यकता आधारित मात्र 4 पद सोपान रखे गये हैं। दिनांक 14 जून, 2006 से बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के 4 पद सोपान के वेतनमान एवं पदनाम केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा के समरूप रखे गये हैं । केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड के आधार पर वरीय प्रधान आप्त सचिव एवं प्रधान स्टाफ ऑफिसर के पद के सृजन का औचित्य बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में नहीं प्रतीत होता है ।

इस संबंध में माननीय उच्च न्यायायल, पटना में सी0 डब्ल्यू0 जे0 सी0 संख्या 12870/16, सुशील कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया है, जिसमें राज्य सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा गया है एवं मामला माननीय उच्च न्यायायल में विचाराधीन है ।

कार्रवाई करना

*1900. श्रीमती रेखा देवी (क्षेत्र संख्या-189 मसौढ़ी (अ0 जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतालने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत धनरूआ थाना कांड सं0 356, दिनांक 1 अगस्त, 2017 के अन्तर्गत दर्ज प्राथमिकी में प्रश्नकर्ता का नाम नहीं रहने के बावजूद प्रश्नकर्ता सहित अन्य निर्दोष लोगों को पुलिस पदाधिकारियों द्वारा परेशान एवं दंडित करने की कोशिश की जा रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कांड की जाँच करते हुए दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उपकारा का निर्माण

*1901. श्री रणविजय साहु (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के शाहपुर पटोरी में अनुमंडल न्यायायल स्थापित है लेकिन उपकारा की स्थापना नहीं की गयी है जबकि अनुमंडल न्यायालय के समीप उपकारा के निर्माण का प्रावधान है, यदि हाँ, तो क्या सरकार शाहपुर पटोरी में उपकारा का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों नहीं ?

लाभुकों का ऋण दिलाना

*1902. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दिनांक 28 दिसम्बर, 2020 के अंक में प्रकाशित शीर्षक ''स्टैंडअप इंडिया योजना में बैकफूट पर बिहार'' के आलोक में क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में केन्द्र सरकार की स्टैंडअप इंडिया योजना के तहत अनुसूचित जाति जन-जाति वर्ग के उद्यमियों को 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का कर्ज दिए जाने के प्रावधान के बाद भी मात्र 15 फीसदी बैंकों ने ही कर्ज दिया है, जिससे इस योजना से उद्यमियों को पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा है, यदि हाँ, तो सरकार बैंकों से उपरोक्त योजना में लाभुकों को ऋण दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बजट में वृद्धि करना

*1903. श्री शमीम अहमद (क्षेत्र संख्या-12 नरकटिया)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ व्यवसाय हेतु वाहन एवं व्यापार लोन कम ब्याज पर उपलब्ध करायी जाती है, परन्तु सरल नियम नहीं रहने के कारण आवेदनकर्ता को काफी कठिनाई होती है, साथ ही वित्तीय बजट काफी कम रहने के कारण अन्य उक्त समुदाय के लोगों को लोन के लिए वर्ष भर प्रतिक्षा करनी पड़ती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त नियम को सरल बनाते हुए बजट में वृद्धि करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना अन्तर्गत बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड, पटना द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को कम ब्याज (5 % साधारण वार्षिक ब्याज दर पर) ऋण उपलब्ध कराया जाता है। लाभार्थियों की सुविधा हेतु नियमावली को और अधिक सरल बनाने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे आवेदनकर्ताओं को सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी ढंग से ऋण की राशि उपलब्ध करायी जा सके ।

वर्तमान में 108.00 (100.00 करोड़ मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण एवं 8.00 करोड़ हिस्सा पूँजी के रूप में) करोड़ की वार्षिक निधि बिहार राज्य अल्पसंख्यक वितीय निगम लिमिटेड, पटना को प्रतिवर्ष उपलब्ध करायी जा रही है।

स्पेशल पुलिस टास्क फोर्स का गठन

*1904. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ सहित सीमावर्ती क्षेत्र में बंगाल, असम नेपाल तथा बांग्लादेश के स्मैक कारोबारियों ने गहरा पैठ बना लिया है एवं युवाओं को बर्बादी की ओर धकेल रहे हैं, तथा फिर लत के शिकार युवक से स्मैक का कारोबार कराते हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त क्षेत्रों में स्मैक आपूर्ति गैंग पर स्थायी रोक लगाने के लिए स्पेशल पुलिस टास्क फोर्स का गठन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन/नियुक्ति करना

*1905. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला में पुलिस अधिकारियों के कुल स्वीकृत बल के 50 प्रतिशत पद रिक्त हैं तथा पुलिस बल के 35 प्रतिशत पद रिक्त हैं जिससे जिला में सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो गई है और आपराधिक घटनाओं में भी वृद्धि हो गई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक इन रिक्त पदों पर पदस्थापन/नियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कोल्ड स्टोरेज का निर्माण

*1906. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत खरीक प्रखंड के किसान अधिक मात्रा में फल-सब्जी का उत्पादन करते हैं, लेकिन वहाँ कोल्ड स्टोरेज नहीं रहने के कारण उनका उत्पादित सामग्री सड़ गलकर बर्बाद हो जाता है, यदि हाँ, तो सरकार खरीक प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा स्वयं कोई इकाई की स्थापना नहीं की जाती है । निजी क्षेत्र के निवेशकों द्वारा यदि कोल्ड स्टोरेज स्थापित की जाती है तो सरकार द्वारा औद्योगिक नीति में किये गये प्रावधान के तहत सहायता दी जाती है । अभीतक भागलपुर जिला से कोल्ड स्टोरेज स्थापना हेतु निजी क्षेत्र के निवेशकों द्वारा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज को खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र के उच्च प्राथमिकता में रखा गया है और निवेश को आकर्षित करने के लिये विशेष पैकेज की व्यवस्था की गई है । यदि कोई उद्यमी इसके लिये आवेदन करता है, तो उसे इस नीति के तहत प्रोत्साहित किया जायेगा ।

उद्योग खोलना

*1907. श्री जय प्रकाश यादव (क्षेत्र संख्या-46 नरपतगंज)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला में मक्के की खेती किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन मक्का आधारित फुड प्रोसेसिंग उद्योग नहीं रहने के कारण किसानों को अपनी फसल का लागत मूल्य भी नहीं मिल पाता है, यदि हाँ, तो सरकार अररिया जिला में मक्का आधारित फुड प्रोसेसिंग उद्योग कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*1908. श्री रामप्रवेश राय (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत मांझा एवं बरौली प्रखंड में विगत वर्ष भयंकर बाढ़ आई जिसमें किसानों की गन्ने की खड़ी फसल नष्ट हो गई एवं उन्हें मुआवजा की राशि उपलब्ध नहीं कराई गई, यदि हाँ, तो सरकार मांझा एवं बरौली प्रखंडों के किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पुनः चालू करना

*1909. श्री फते बहादुर सिंह (क्षेत्र संख्या-212 डिहरी)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत पत्थर क्रशर उद्योग बंद होने से काफी लोग बेरोजगार हो चुके हैं जिससे क्षेत्र के लोगों के लिये भुखमरी की स्थिति आ गयी है यदि हाँ, तो क्या सरकार पहाड़ को लीज कर बंद पड़े क्रशरों को पुनः चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विज्ञापन देना

*1910. डॉ० रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्रिंट मिडिया विज्ञापन पॉलिसी, 2020 राज्य में लागू है एवं उसके तहत राज्य सरकार स्कीमों, निविदा आदि का जन-प्रचार हेतु विज्ञापन प्रकाशित करवाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पॉलिसी के तहत बड़े अखबारों को 50 प्रतिशत मंझौले को 35 प्रतिशत एवं छोटे स्तर पर छपने वाले अखबारों को 15 प्रतिशत विज्ञापन देने का प्रावधान है ;

(3) क्या यह बात सही है कि सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग में लगभग 30 उर्दू अखबार विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध है परंतु विभाग मात्र 4 उर्दू अखबारों में ही बार-बार सरकारी विज्ञापन देती है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार विभाग में सूचीबद्ध 30 उर्दू अखबारों में बिना भेदभाव के बारी-बारी से विज्ञापन प्रकाशन हेतु विज्ञापन देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुमंडल बनाना

*1911. श्री रामप्रवेश राय (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत बरौली को अनुमंडल बनाने हेतु वर्ष 2004 में सरकार द्वारा घोषणा की गयी थी परंतु आजतक अनुमंडल नहीं बनाया गया है जबकि बरौली अनुमंडल बनने हेतु सभी अर्हताओं को भी पूरा करता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बरौली को अनुमंडल बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत बरौली को अनुमंडल बनाने से संबंधित औपचारिक घोषणा की सूचना उपलब्ध नहीं है।

राज्य में जिला/अनुमंडल/प्रखण्ड/अंचल के पुनर्गठन हेतु ''मंत्रियों के समूह'' का गठन माननीय उप-मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है। साथ ही मंत्रियों के समूह के समक्ष प्रस्ताव रखने हेतु ''सचिवों की समिति'' गठित है। सचिवों की समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन हेतु जिला पदाधिकारी तथा प्रमण्डलीय आयुक्त के माध्यम से प्राप्त औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संलेख के माध्यम से ''सचिवों की समिति'' के समक्ष विचारार्थ रखा जाना है। प्रस्ताव भेजने हेतु सभी जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया गया है। वर्तमान में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या 407(4), दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं में 31 मार्च, 2021 तक किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किये जाने का आदेश संसूचित है।

बरौली को अनुमंडल का दर्जा देने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है।

यात्रा भत्ता देना

*1912. श्री सूर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि माननीय विधायकों की सुरक्षा में तैनात अंगरक्षकों को बिहार में यात्रा भत्ता दिया जाता है जबकि बेगूसराय जिला में माननीय विधायकों की सुरक्षा में तैनात अंगरक्षकों को यात्रा भत्ता नहीं दिया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अंगरक्षकों को यात्रा भत्ता देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुमंडल बनाना

*1913. श्री ललित नारायण मंडल (क्षेत्र संख्या-157 सुलतानगंज)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत सुलतानगंज प्रखंड एवं शाहकुण्ड प्रखंड को मिलाकर सुलतानगंज अनुमंडल बनने के सभी मापदंड को पूरा करते है, यदि हाँ, तो क्या सरकार सुलतानगंज को अनुमंडल बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1914. श्री प्रेम शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-99 बैकुण्ठपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला गोपालगंज के प्रखंड बैकुण्ठपुर अन्तर्गत बांसघाट मसुडिया पंचायत के बांसघाट मसुडिया सरकारी कब्रिस्तान की पक्की घेराबन्दी नहीं हुयी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की पक्की घेराबन्दी कार्य कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सुविधा उपलब्ध कराना

*1915. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गलवान घाटी पोस्ट पर तैनात कमांडिंग ऑफिसर हेमशंकर प्रसाद मधुबनी जिला के जयनगर थाना अन्तर्गत कोरहिया गाँव के निवासी थे जो 13 जनवरी, 2021 को शहीद हो गये ;

(2) क्या यह बात सही है कि कोररिया गाँव स्थित पैतृक आवास पर उनके शव का अंतिम संस्कार किया गया जहाँ जिला के जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक, मधुबनी उपस्थित नहीं होने के कारण अभीतक शहीदों के आश्रितों को प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की सुविधा सरकार के स्तर से उपलब्ध नहीं करायी गयी है जबकि इसकी सूचना जिला अधिकारी को 15 जनवरी, 2021 को दी गयी थी ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक शहीद के आश्रितों को मिलने वाली सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस थाना गृह जिलान्तर्गत करना

*1916. श्री संजय कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-30 बेलसंड)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बेलसण्ड प्रखण्ड के सौली, रूपौली एवं सिरसिया ग्राम का पुलिस थाना शिवहर जिला के तरियानी छपरा है तथा शिवहर जिलान्तर्गत तरियानी प्रखण्ड के सुरपट्टी ग्राम का पुलिस थाना सीतामढ़ी जिला के बेलसण्ड है, जिसके कारण उक्त क्षेत्र की जनता एवं पुलिस पदाधिकारियों को असुविधा होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त ग्राम का पुलिस थाना गृह जिलान्तर्गत ही करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*1917. श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी (क्षेत्र संख्या-240 सिकन्दरा (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गृह विभाग के पत्रांक 3231, दिनांक 11 अप्रील, 2014 के द्वारा एस०आर०ई० योजना के तहत जमुई जिला अन्तर्गत खैरा प्रखंड के ग्राम-गरही में थाना का भवन निर्माण कार्य अभीतक पूर्ण नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार थाना गरही के भवन निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक क्षेत्र घोषित करना

*1918. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के दुर्गावती प्रखंड अन्तर्गत छांवों एवं भेरिया गाँव के आसपास नोवो सीमेंट, हिमालयन सीमेंट एवं ए०सी०सी० सीमेंट सहित दर्जनों औद्योगिक कंपनियाँ कार्यरत हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार छांवों एवं भेरिया मौजा को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वेतन का भुगतान

*1919. श्री सत्यदेव राम (क्षेत्र संख्या-107 दरौली (अ0जा0))--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला का एकमात्र सीवान सहकारिता सूत मिल वर्ष 2000 से पूर्णरूप से बंद है जिससे मिल में कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों एवं मजदूरों का बकाया वेतन एवं समायोजन अभीतक नहीं होने के कारण कर्मचारियों एवं मजदूरों के परिवार के सामने भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त बंद मिल के कर्मचारियों एवं मजदूरों का अन्यत्र समायोजन एवं लम्बित वेतन का भुगतान कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*1920. श्रीमती स्वर्णा सिंह (क्षेत्र संख्या-79 गौडाबौराम)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के बिरौल प्रखंड में आदर्श थाना बिरौल का भवन काफी पुराना है एवं जर्जर है जिसके कारण थाना अभिलेख को रखने में काफी कठिनाइयाँ होती है, यदि हाँ, तो सरकार आदर्श थाना, बिरौल का भवन निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1921. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिलान्तर्गत पचना पंचायत के पचना गाँव में केनरा बैंक, पचना शाखा 30 वर्षों से कार्यरत था जिसे गिरिहिंडा में स्थानांतरण करने से खाताधारकों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है , यदि हाँ, तो क्या सरकार केनरा बैंक, पचना शाखा को पुनः ग्राम-पचना में स्थापित कराने हेतु कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चौकी खोलना

*1922. श्रीमती स्वर्णा सिंह (क्षेत्र संख्या-79 गौडाबौराम)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत घनश्यामपुर थाना में रसियारी गाँव है जहाँ आपराधिक घटनाएँ यथा मुनिलाल चौपाल की हत्या, अवकाश प्राप्त जिला उद्यान पदाधिकारी के घर डकैती और लूट-पाट आदि घटना घटित हुई है जबकि रसियारी से घनश्यामपुर थाना की दूरी लगभग 5 किलो मीटर है, यदि हाँ, तो सरकार रसियारी में पुलिस चौकी कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रमाण-पत्र देना

*1923. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के प्रखंड रामगढ़ नआँव एवं दुर्गावती में खरवार जाति को अनुसूचित जन-जाति वर्ग का दर्जा दिया गया है जिसे सरकार के आदेश के आलोक में 2017 तक प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है तथा इसके पश्चात् इन्हें अनुसूचित जन-जाति का प्रमाण-पत्र प्रखंड द्वारा नहीं दिया जाता है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खरवार जाति को पुनः अनुसूचित जन-जाति का प्रमाण-पत्र देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य हेतु अधिसूचित अनुसूचित जन-जाति के सूची क्रमांक 17 पर 'खरवार' जाति सूचीबद्ध है, जो समस्त बिहार राज्य हेतु मान्य है । सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 673, दिनांक 8 मार्च, 2011 की कंडिका (9) में अंकित प्रावधानों के आलोक में यथास्थिति सत्यापन के उपरान्त 'खरवार' जाति को अनुसूचित जन-जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है ।

जहाँतक मात्र कैमूर जिला के रामगढ़, नआँव एवं दुर्गावती प्रखंडों में खरवार जाति को अनुसूचित जन-जाति का प्रमाण-पत्र नहीं दिये जाने का प्रश्न है । इस संबंध में जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है । जिला पदाधिकारी, कैमूर के पत्रांक 320, दिनांक 24 फरवरी, 2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कैमूर जिला अन्तर्गत खरवार जाति को अनुसूचित जन-जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत करने में रोक नहीं है ।

(2) प्रश्न खंड (1) के उत्तर में स्थिति स्पष्ट की गई है, इसके आलोक में किसी प्रकार के आदेश निर्गत करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है ।

थाना को सुव्यवस्थित कराना

*1924. श्री अशोक कुमार (क्षेत्र संख्या-132 वारिसनगर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत शिवाजीनगर प्रखंड स्थित हथौड़ी थाना के जर्जर थाना भवन एवं जर्जर स्टाफ क्वार्टर की वजह से कठिनाई होने के साथ ही अप्रिय घटना हो जाने का भय सदा व्याप्त रहता है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित थाना के भवन एवं स्टाफ क्वार्टर की मरम्मती कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मंदिर की घेराबंदी

*1925. श्री मिश्री लाल यादव (क्षेत्र संख्या-81 अलीनगर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड के ग्राम-गोसवा में राधा कृष्ण मंदिर लगभग 80 वर्ष पुराना है किन्तु सरकार के निर्णय के बावजूद इस मंदिर की घेराबंदी नहीं कराई गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मंदिर की घेराबंदी कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थानान्तरण में पारदर्शिता बरतना

*1926. श्री प्रहलाद यादव (क्षेत्र संख्या-167 सूर्यगढ़ा)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार के कई विभाग में प्रधान सचिव तथा गृह विभाग में डी0जी0पी0 एवं ए0डी0जी0पी0 स्तर के पदाधिकारी तीन वर्ष से अधिक समय से पदस्थापित हैं जबकि उनसे कनीय पदाधिकारी को तीन साल के अन्दर स्थानांतरित कर दिया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि तीन वर्ष से अधिक समय तक पदाधिकारियों का एक ही स्थान पर रखना नियमानुकूल नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार के सचिवालय में पदस्थापित एक ही पद पर तीन साल से अधिक दिनों से हैं, तो स्थानांतरण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना भवन का निर्माण

*1927. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत बैसा प्रखंड में स्थित अनगढ़ थाना का निर्माण 1982 ई0 में हुआ था जबकि थाना कार्य हाट समिति में चल रहा है थाना भवन निर्माण हेतु एक वर्ष पूर्व भूमि का चयन कर प्रस्ताव गृह विभाग, बिहार सरकार को भेजा जा चुका है, लेकिन अभीतक भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त थाना भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क जाम से निजात दिलाना

*1928. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतालने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत तरैया प्रखंड मुख्यालय बाजार एवं पचरौड़ बाजार तथा पानापुर मुख्यालय बाजार मशरक मुख्यालय बाजार में आये दिन जाम लगा रहता है जिसके कारण आम जनता को आवागमन में काफी परेशानी होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर सड़क जाम से निजात दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*1929. श्री अजय यादव (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला अंतर्गत प्रखंड खिजरसराय के ग्राम-छोटकी नौडीहा में कब्रिस्तान की घेराबंदी आजतक नहीं की गई है जिससे बराबर विवाद होता रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त ग्राम में कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राष्ट्रीयकृत बैंक खोलना

*1930. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत पानापुर प्रखंड मुख्यालय एवं ईशुआपुर प्रखण्ड मुख्यालय में राष्ट्रीकृत बैंक नहीं होने के कारण व्यवसायियों एवं आम लोगों तथा सरकारी संस्थाओं को लेन-देन में काफी परेशानी होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर राष्ट्रीयकृत बैंक कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

लाभुकों को राशि देना

*1931. श्री आबिदुर रहमान (क्षेत्र संख्या-49 अररिया)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत मुस्लिम परित्यन्ता/तलाकशुदा महिलाओं हेतु सहायता योजना के तहत चयन प्रक्रिया में लापरवाही के चलते वर्तमान वित्तीय वर्ष में अररिया प्रखण्ड के लाभुकों का चयन नहीं हो पाया है तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 के चयनित लाभुकों को सहायता राशि का अबतक वितरण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष में अररिया प्रखण्ड के आवेदकों का चयन करने तथा वर्ष 2019-20 के चयनित लाभुकों को राशि कबतक वितरण करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक । वित्तीय वर्ष 2020-21 अररिया प्रखंड में 15 आवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा सत्यापित कर जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय को प्राप्त हुआ है जो चयन की प्रक्रिया में है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अररिया प्रखंड में कुल 47 लाभुकों को चयन कर राशि उनके बैंक खाता में PFMS के माध्यम से अंतरित कर दिया गया है।

वेतन देना

*1932. श्री राहुल तिवारी (क्षेत्र संख्या-198 शाहपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत थाना-शाहपुर के बहोरनपुर ओ0 पी0 में ग्राम-दामोदरपुर के श्री उमांशकर पासवान, पिता-श्री बृज बिहारी पासवान जो लगभग बीस वर्षों से चौकीदार के पद पर कार्यरत है, बिना नियुक्ति-पत्र एवं बिना वेतन के अबतक चुनावी कार्यों में भी प्रतिनियुक्त किया जाता है जिससे उन्हें पारिवारिक भरण-पोषण में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त व्यक्ति को चौकीदार के पद पर नियुक्त करने के साथ वेतन देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*1933. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत प्रखंड-नानपुर में ग्राम+पंचायत ददरी, ग्राम-ददरी एवं ग्राम-बहुरार, मोहनपुर कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

संपत्ति की जांच कराना

*1934. श्री प्रहलाद यादव (क्षेत्र संख्या-167 सूर्यगढ़ा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिला के चानन थाना में पदस्थापित श्री वैभव कुमार, थाना प्रभारी को पहली बार चानन थाना से पिपरिया थाना स्थानान्तरण किया गया जहां दिनांक 26 जुलाई, 2019 को एक छोटू नाम के लड़का के साथ अभद्र व्यवहार करने के कारण 10 दिनों के लिए लाईन हाजिर किया गया था और पुनः उन्हें दोबारा चानन थाना प्रभारी बनाया गया, जहाँ अभीतक हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि नदी से बालू की अवैध कमाई से सरकार को करोड़ों रुपये की क्षति हुई है तथा रामपुर थाना के चानन के अक्षय दास के साथ अभद्र व्यवहार करने का भी इनपर आरोप है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त थाना प्रभारी को चानन थाना से हटा कर आय से अधिक संपत्ति की जांच करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1935. श्री महबूब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना से प्रकाशित दैनिक भास्कर एवं अन्य पत्र-पत्रिका प्रबंधन द्वारा वैश्विक कोरोना महामारी के बहाने पत्रिका की आर्थिक स्थिति का हवाला देकर पत्रिका-प्रबंधन से 'मजीठिया वेज बोर्ड' द्वारा निर्धारित मानदेय के तहत वेतन की मांग करने वाले पत्रकारों, छायाकारों एवं अन्य कर्मियों को नौकरी से निकाल कर ''वर्किंग जार्नलिस्ट एक्ट'' का उल्लंघन किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार पीड़ित पत्रकारों की पुनर्बहाली एवं दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1936. श्री प्रेम शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-99 बैकुण्ठपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला गोपालगंज के सिंधवलिया प्रखंड के सुपौली पंचायत अन्तर्गत बरहिमा कब्रिस्तान की पक्की घेराबन्दी कार्य अभीतक नहीं होने से अतिक्रमण होना शुरू हो गया है यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की पक्की घेराबंदी कार्य कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*1937. श्री महानंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के ग्राम-वासिलपुर नगर परिषद् अरवल में स्थित कब्रिस्तान की जमीन की घेराबंदी नहीं की गई है जिसके कारण अगल बगल के लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है और आपस में तनाव बना रहता है जबकि शाही महल्ला मखदूम साहब के मजार से पूरब करीब 2 एकड़ जमीन खाली है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी तथा दूसरे जगह जमीन मुहैया कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*1938. श्रीमती संगीता कुमारी (क्षेत्र संख्या-204 मोहनियां (अ० जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत मोहनियां विधान सभा क्षेत्र में देवरार एवं तुर्की में अबतक कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं करायी गयी है, जबकि राज्य के सभी कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने हेतु सरकार द्वारा विगत् दस वर्ष पूर्व निर्णय लिया गया था, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चीनी मिल चालू करना

*1939. श्री उमाकांत सिंह (क्षेत्र संख्या-7 चनपटिया)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चंपारण जिला के चयपटिया प्रखंड में चनपटिया चीनी मिला 1993 से बंद होने के कारण उक्त क्षेत्र के किसान गन्ना औने-पौने भाव एवं दूर-दराज के मिलों में बेचने के लिये विवश है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त चीनी मिल को पुनः चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

व्यावसायिक बैंक खोलना

*1940. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी बाजार व्यावसायिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण व्यावसायिक बाजार है तथा व्यवसायियों की 5 हजार से अधिक की आबादी होने के बावजूद भी यहाँ व्यावसायिक बैंक की सुविधा उपलब्ध नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दुल्लीपट्टी बाजार में व्यावसायिक बैंक कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी बाजार में इंडियन ओवरसीज बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की एक-एक शाखाएँ कार्यरत हैं । दुल्लीपट्टी बाजार से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर जयनगर में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक-एक शाखाएँ कार्यरत हैं । साथ ही दुल्लीपट्टी बाजार से 5 किलो मीटर के दायरे में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के दो ग्राहक सेवा केन्द्र शीलनाथ और बरहीं में कार्यरत हैं । इस प्रकार दुल्लीपट्टी बाजार के निवासियों को बैंकिंग सेवा प्राप्त हो रही है ।

(2) बैंक शाखा/आउटलेट खोलने का निर्णय बैंकों के द्वारा व्यावसायिक उद्देश्यों एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदता के आधार पर लिया जाता है । वर्तमान में किसी अन्य बैंक की शाखा दुल्लीपट्टी में खोला जाना प्रस्तावित नहीं है ।

पत्रकार का दर्जा देना

*1941. श्री निरंजन राय (क्षेत्र संख्या-88 गायघाट)--क्या मंत्री, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में निर्बंधित पत्रकारों को सरकार द्वारा यथा टोल टैक्स में छूट, भत्ता आदि की सुविधा दी जा रही है किन्तु ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत गैर-निर्बंधित पत्रकारों को इस सुविधा से वंचित रखने के कारण ग्रामीणों क्षेत्रों के पत्रकारों का मनोबल टूट रहा है, यदि हाँ, तो सरकार ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों को उक्त सुविधा देते हुये स्वतंत्र पत्रकारों को भी मान्यता प्राप्त पत्रकार का दर्जा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1942. श्री जितेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 अस्थावाँ)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के पटना टॉल टैक्स के आगे जीरोमाईल और बाइपास के दोनों तरफ बड़े-बड़े ट्रकों के खड़े रहने के कारण छोटे वाहन सहित बड़े वाहनों को आवागमन में काफी कठिनाई एवं समय लगता है, यदि हाँ, तो सरकार पटना टॉल टैक्स के आगे जीरो माईल बाइपास में जाम की समस्या से मुक्त करने हेतु कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1943. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन (क्षेत्र संख्या-133 समस्तीपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना शहरी क्षेत्रों में बाइकर्स गैंग एक्टिव है जो हत्या, लूट एवं अपहरण जैसे जघन्य अपराध में संलिप्त रहते हैं, यदि हाँ, तो सरकार पटना के शहरी क्षेत्रों में वारदात पर नियंत्रण हेतु बाइकर्स ग्रुप की पहचान कर उनपर कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बहाल करना

*1944. श्री महानंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अरवल जिलान्तर्गत अरवल प्रखण्ड के आंकोपुर निवासी ललन कुमार जनसंहार पीड़ित परिवार को 25 मई, 1997 को अनुकंपा के आधार पर आरक्षी के पद पर बहाल किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि जनसंहार पीड़ित आश्रित परिवार में अनुकंपा पर आरक्षी के पद पर ही बहाल लक्ष्मनपुर बाथे के विनोद पासवान को 1 जून, 2005 को एवं आंकोपुर के ललन कुमार को 11 अगस्त, 2004 को बर्खास्त किया गया था किन्तु बाद में विनोद पासवान को पुनर्बहाल कर दिया गया लेकिन ललन कुमार को अभीतक बहाल नहीं किया गया है जिससे इनके परिवार भूखमरी के कगार पर पहुँच गये हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार ललन कुमार को भी पुनर्बहाल करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*1945. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत प्रखंड बाजपट्टी के ग्राम+पंचायत-पिपराढ़ी के ग्राम-पिपराढ़ी एवं बलहा में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ऋण वितरण करना

*1946. श्री आबिदुर रहमान (क्षेत्र संख्या-49 अररिया)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत लाभुकों को वित्तीय वर्ष 2019-20 में ऋण वितरण अबतक नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त ऋण कबतक वितरण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1947. श्री अनिल कुमार (क्षेत्र संख्या-231 टिकारी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत टिकारी प्रखंड में पंचानपुर एवं मठ में स्थापित पुलिस फाड़ी का अपना भवन नहीं होने के कारण कर्मियों को कार्य करने में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पुलिस फाड़ियों के भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*1948. श्री मनोज मंजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत गड़हनी प्रखंड के गड़हनी बिचली पट्टी एवं गड़हनी उत्तर पट्टी कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं हुयी है, जिससे अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुरन छापरा में पुलिस चौकी खोलना

*1949. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जिला पूर्वी चम्पारण अन्तर्गत प्रखण्ड कल्याणपुर के पुरन छापरा में पुलिस चौकी नहीं रहने के कारण स्थानीयजनों को 10 कि०मी० की दूरी तय कर चकिया थाना जाना पड़ता है साथ ही चकिया थाना जाने के क्रम में चकिया रेलवे फाटक अक्सर जाम एवं बन्द रहने के कारण घोर असुविधा का सामना करना पड़ता है, जबकि उक्त स्थान पर सरकारी भवन भी उपलब्ध है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार पुरन छापरा में पुलिस चौकी खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

यात्रा भत्ता उपलब्ध कराना

*1950. मो० आफाक आलम (क्षेत्र संख्या-58 कसबा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार के पूर्णियाँ जिला सहित अन्य जिला में मा०सांसद/विधायक के अंगरक्षकों को यात्रा भत्ता नहीं दिया जा रहा है जबकि पुलिस केन्द्र से 10 कि०मी० से ज्यादा दूरी पर इनके साथ अंगरक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त हवलदार/सिपाही को प्रतिदिन यात्रा भत्ता दिया जाता है, यदि हाँ, तो सरकार मा० सांसद/विधायक के अंगरक्षक को यात्रा भत्ता (टी०ए०) देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना संचालित कराना

*1951. श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी (क्षेत्र संख्या-240 सिकन्दरा (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गृह विभाग के पत्रांक 3231, दिनांक 11 अप्रील, 2014 के द्वारा एस० आर० ई० योजना के तहत जमुई जिला अन्तर्गत सिकन्दरा प्रखंड के ग्राम-लछुआड़ में थाना आजतक प्रारंभ नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार लछुआड़ थाना को कबतक संचालित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चीनी मिल को चालू करना

*1952. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के केवटी विधान सभा के अन्तर्गत एकमात्र बड़ी औद्योगिक इकाई रैयाम चीनी मिल को बंद होने से वहाँ के किसान एवं मजदूर का पलायन हो रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त चीनी मिल को चालू कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य चीनी निगम की इकाई रैयाम वर्ष 1994-95 से रुग्न होकर बंद है । बिहार राज्य चीनी निगम की बंद इकाइयों पर गन्ना आधारित उद्योग एवं अन्य उद्योगों की स्थापना हेतु निजी निवेशक को लीज पर चलाने के लिये वित्तीय सलाहकार, SBI Caps के माध्यम से पाँच निविदायें आमंत्रित की गयी थी । जिसमें रैयाम चीनी मिल को श्री तिरहुत इण्डस्ट्रीज लि0, नई दिल्ली को गन्ना आधारित उद्योग के रूप में स्थापित करने हेतु लीज पर दिनांक 13 अप्रील, 2010 को दिया गया है । निवेशक के द्वारा चीनी मिल स्थापित नहीं किये जाने के कारण अबतक तीन लीगल नोटिस दिया जा चुका है । आखरी नोटिस 27 अक्टूबर, 2020 को दिया गया है ।

मंदिर का जीर्णोद्धार

*1953. श्रीमती मंजू अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत शेरघाटी प्रखंड स्थित दुल्हिन मंदिर पुरातत्व विभाग के अधीन होने के बावजूद मुख्य मंदिर एवं चहारदीवारी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, इसका मुख्य भवन धराशायी होने के कगार पर है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मंदिर का जीर्णोद्धार कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

न्याय देना

*1954. श्री कुमार सर्वजीत (क्षेत्र संख्या-229 बोध गया (अ0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला विन्द थाना कांड संख्या 14/21 में स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर एवं पुलिस उपाधीक्षक द्वारा बिंदुवार जाँच नहीं कर मृतक के परिजन को न्याय नहीं दिया गया है, यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जाँच करवाकर दोषी को सजा एवं पीड़ित को न्याय देना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्य योजना बनाना

*1955. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये बिजली, सड़क कानून व्यवस्था के साथ-साथ आसानी से जमीन की उपलब्धता अनिवार्य है और एक स्थान पर एक ही तरह के उद्योग विकसित होने से इसका अच्छा असर पड़ता है जबकि बिहार में उद्यमियों और उद्योग संघों द्वारा जमीन की लगातार माँग की जाती है मगर जमीन की कमी के कारण प्रोजेक्ट अधर में फँस जाता है, यदि हाँ, तो सरकार जमीन की उपलब्धता के लिये कार्य योजना बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

साक्षात्कार कराना

*1956. श्री मुकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-126 महुआ)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार कृषि सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 86/2014 प्रकाशित किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि आयोग द्वारा दिनांक 7 नवम्बर, 2019 को लिखित परीक्षाफल का प्रकाशन करते हुये 603 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है परंतु आजतक साक्षात्कार की तिथि की घोषणा नहीं हुई है जिससे सफल अभ्यर्थी काफी हताश हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कबतक आयोजित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सहायक थाना खोलना

*1957. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत ढाका प्रखंड का फुलवारिया घाट ढाका थाना से 14 किलो मीटर एवं चैनपुर थाना से 13 किलो मीटर की दूरी पर अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि फुलवारिया घाट भारत नेपाल सीमा के साथ सीतामढ़ी एवं पूर्वी चम्पारण को जोड़ने वाली मुख्य केन्द्र है, उक्त घाट के पास बराबर आपराधिक घटनाएँ होती रहती है, यदि हाँ, तो सरकार फुलवारिया घाट पर सहायक थाना कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*1958. श्री रामवृक्ष सदा (क्षेत्र संख्या-148 अलौली (अ0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत अलौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत चेराखेरा एवं मेधौना पंचायतों के कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने से पशु कब्रिस्तान में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पंचायतों के कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*1959. श्रीमती संगीता कुमारी (क्षेत्र संख्या-204 मोहनियां (अ0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत मोहनियां विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत भागीरिथपुर एवं मुजांन में कब्रिस्तान की घेराबंदी अबतक नहीं करायी गयी है जबकि राज्य के सभी कब्रिस्तानों की घेराबंदी करवाने हेतु सरकार द्वारा विगत् दस वर्ष पूर्व निर्णय लिया गया था, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*1960. श्री शाहनवाज (क्षेत्र संख्या-50 जोकीहाट)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत जोकीहाट प्रखंड के टेकनी ग्राम में स्थित बड़ा कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भूमि खाली कराना

*1961. श्री मिथिलेश कुमार (क्षेत्र संख्या-28 सीतामढ़ी)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा उद्योग के नाम पर सम्पूर्ण बिहार में औद्योगिक क्षेत्र में आवंटित जमीन उद्योग की स्थापना के इतर आवासीय कार्य में उपयोग किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उद्योग के लिए आवंटित भूमि को आवासीय उपयोग से मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*1962. श्री शाहनवाज (क्षेत्र संख्या-50 जोकीहाट)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत पलासी प्रखंड के मिर्जापुर गाँव में स्थित मिर्जापुर बड़ा कब्रिस्तान की घेराबंदी आजतक नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आरक्षण देना

*1963. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमराँव)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार सैन्य पुलिस भर्ती में आरक्षित पुरुष अभ्यर्थियों को शारीरिक लम्बाई में आरक्षण का लाभ प्राप्त है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त भर्ती में आरक्षित वर्ग के महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक लम्बाई में आरक्षण का प्रावधान नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सैन्य पुलिस भर्ती में आरक्षित श्रेणी के महिला अभ्यर्थियों को लंबाई में आरक्षण देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मजदूरों की संख्या बढ़ाना

*1964. श्रीमती रश्मि वर्मा (क्षेत्र संख्या-3 नरकटियागंज)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत नरकटियागंज अनुमण्डल मुख्यालय स्थित चीनी मिल के स्थानीय मजदूरों के अनुपात में बाहरी मजदूरों की सत्तर प्रतिशत ज्यादा संख्या में नियुक्ति की गयी है, जबकि प्राथमिकता के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों को ज्यादा संख्या में नियुक्ति करने का सरकारी प्रावधान है, यदि हाँ, तो सरकार प्राथमिकता के आधार पर उक्त चीनी मिल में स्थानीय क्षेत्र के मजदूरों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना प्रारंभ करना

*1965. श्री दामोदर रावत (क्षेत्र संख्या-242 झाझा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गृह विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 3231, दिनांक 11 अप्रील, 2014 के द्वारा एस0 आई0 ई0 योजना के तहत जमुई जिला में मोहनपुर थाना पैतृक थाना लक्ष्मीपुर की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जो आजतक प्रारम्भ नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार मोहनपुर थाना पैतृक थाना लक्ष्मीपुर को कबतक प्रारंभ करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि का भुगतान करना

*1966. श्री भाई वीरेन्द्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जे0 पी0 आन्दोलन जो दिनांक 18 मार्च, 1974 से 21 मार्च, 1974 तक हुआ था जिसमें मीसा/डी0 आई0 आर0 धारा के तहत एक माह से छः माह अधिकतम कारा में संसीमन अवधि तक निरुद्ध रहे आंदोलनकारियों को आजतक जे0 पी0 सम्मान पेंशन योजना का भुगतान नहीं किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक जे0 पी0 आन्दोलन में कारा संसमीन अवधि तक निरुद्ध रहे आंदोलनकारियों को जे0 पी0 सम्मान पेंशन योजना की राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना का भवन निर्माण

*1967. श्रीमती बीमा भारती (क्षेत्र संख्या-60 रूपौली)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत रूपौली विधान सभा के टीकापट्टी थाना को अपना भवन नहीं होने से इस थाना का सामुदायिक भवन में परिचालन हो रहा है जबकि थाना के लिए जमीन उपलब्ध है जिसका सर्वेक्षण हो चुका है, यदि हाँ, तो क्या सरकार टीकापट्टी थाना का भवन निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान भूमि उपलब्ध कराना

*1968. श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी (क्षेत्र संख्या-200 बक्सर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के बक्सर प्रखण्ड अन्तर्गत मुंगरौल एवं चौसा प्रखण्ड अंतर्गत अखौरीपुर गोला में कब्रिस्तान की भूमि नहीं है जबकि इस क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर कब्रिस्तान की भूमि का बंदोबस्त करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वेतन देना

*1969. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिले में जिला पदाधिकारी और आयुक्त स्तर के पदाधिकारियों को छोड़कर बाकी सभी जिलास्तरीय पदाधिकारियों जैसे सिविल सर्जन, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला अपर समाहर्ता के चालकों का वेतन 24 घंटे की ड्यूटी के अनुसार वर्ष भर में 13 माह का नहीं मिलता है, यदि हाँ, तो सरकार 24 घंटा ड्यूटी करने वाले उक्त क्षेणी के सभी चालकों के लिये 13 माह का वेतन देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--जिला पदाधिकारी एवं आयुक्त के चालकों को 13 माह का वेतन अनुमान्य नहीं है, न ही भुगतान किये जाने की सूचना/प्रतिवेदन प्राप्त है । तद्नुरूप जिलास्तरीय अन्य पदाधिकारियों के चालकों को भी 13 माह का वेतन अनुमान्य नहीं है ।

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*1970. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत दरभंगा सदर प्रखंड के शहवाजपुर पंचायत के ग्राम-कोठियां में अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी हेतु वर्ष 2014-15 के प्राथमिकता सूची में नं०-1 पर रहने के बावजूद अभीतक उसकी घेराबंदी नहीं हुई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कब्रिस्तान के पास दो समुदाय में कई बार तनाव के कारण अंचलाधिकारी ने 7 वर्ष पूर्व कब्रिस्तान की भूमि का सीमांकन भी कराया था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति करना

*1971. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 कारकाट)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में 01 जनवरी, 1990 के बाद एवं 04 अप्रैल, 2014 के पूर्व सेवानिवृत्त दफादार एवं चौकीदार के आश्रितों की नियुक्ति करने का प्रावधान था ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के शिवहर एवं अन्य जिलों में गृह विभाग द्वारा वर्ष 2010 में सेवानिवृत्त दफादार एवं चौकीदार के आश्रितों की नियुक्ति की गयी थी ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार चौकीदारों एवं दफादारों के शेष बचे 5000 पदों पर नियुक्ति करने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उद्योग स्थापित कराना

*1972. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर में केमिकल कॉरपोरेशन द्वारा वर्ष 1989-90 में पेपर मिल को लगाने की योजना स्वीकृत हुई थी एवं इसके लिये निर्मित भवन, यांत्रिक मशीन एवं जमीन आज भी अनुपयोगी एवं जीर्ण-शीर्ण की स्थिति में है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अनुपयोगी भूमि पर पेपर मिल स्थापित कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चौकी स्थापित कराना

*1973. श्री अनिल कुमार (क्षेत्र संख्या-231 टिकारी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के कोंच थाना अंतर्गत देवरा बाजार से कोंच थाने की दूरी लगभग 15 कि० मी० है तथा यह स्थल नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, यदि हाँ, तो सरकार देवरा बाजार में कबतक पुलिस चौकी स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वेतनमान स्वीकृत करना

*1974. श्री सतीश कुमार (क्षेत्र संख्या-218 मखदुमपुर (अ० जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार सैन्य पुलिस एवं बिहार पुलिस में कार्यालय परिचारी, रसोईया, झाड़ुकश, जलवाहक, नाई, धोबी इत्यादि की नियुक्ति की गई है तथा माननीय उच्च न्यायालय के पूर्व के निर्णयानुसार इन परिचारियों को ट्रेडकर्मियों की भाँति सभी सुविधा तथा वेतनमान दिया जाना था ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार सैन्य पुलिस एवं बिहार पुलिस में कार्यरत परिचारियों को न तो चतुर्थवर्गीय कर्मी एवं ना ही बिहार पुलिसकर्मी की सुविधा एवं वेतनमान प्राप्त हो पा रहा है जिससे इन कर्मियों में काफी रोष एवं क्षोभ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त कर्मियों को चतुर्थवर्गीय कर्मी या पुलिसकर्मी की सुविधा एवं वेतनमान स्वीकृत करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना का दर्जा प्रदान करना

*1975. श्रीमती बीमा भारती (क्षेत्र संख्या-60 रूपौली)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के रूपौली विधान सभा अन्तर्गत अकबरपुर ओ० पी० को थाना का दर्जा नहीं मिलने से आमलोगों को मुख्यालय थाना भवानीपुर जाना पड़ता है, जिससे काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त ओ० पी० को थाना का दर्जा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक खोलना

*1976. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत बैसा प्रखंड के मजगामा हाट से खाड़ी हाट तक एक लाख की जनसंख्या है, लेकिन वहाँ कोई राष्ट्रीय बैंक नहीं है जबकि सरकार का निर्णय है कि 5000 की आबादी पर एक सरकारी बैंक खोलना है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर सरकारी बैंक कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदनाम परिवर्तित करना

*1977. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के कर्मियों को केन्द्र सरकार के कर्मियों के समान वेतन, सेवाशर्त एवं अन्य सुविधाएँ देने हेतु वर्ष 1997 में कर्मचारी संघों एवं सरकार के बीच हुये समझौता के आलोक में राज्य सरकार द्वारा बिहार सचिवालय सेवा का गठन किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 14029, दिनांक 23 अक्टूबर, 2018 द्वारा प्रधान सचिव स्तर के 8 में से 5 चलायमान पदों के नाम परिवर्तित करते हुये अपर मुख्य सचिव अधिसूचित किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अन्य संवर्ग/सेवा की भाँति बिहार सचिवालय सेवा के सहायकों का पदनाम परिवर्तित करते हुये केन्द्रीय सचिवालय के अनुरूप सहायक प्रशाखा पदाधिकारी करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बेहतर सुविधा देना

*1978. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमराँव)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बैंक मित्रों द्वारा खोले गये करोड़ों जन धन खातों से बैंक की जमा राशि में लगातार वृद्धि हुयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि Centre for Development Orientation and Training (CDOT) जैसी कंपनियाँ बैंक मित्रों को बिना किसी एकरारनामा के बहाल करती है, बैंक द्वारा निर्धारित कमीशन में मनमाना कटौती करती है और मनचाहे तरीके से बैंक मित्रों को निकाल देती है ;

(3) क्या यह बात सही है कि बैंक मित्रों को उनका बैंक मित्र केन्द्र चलाने के लिये कमीशन के अलावा अन्य कोई सुविधा या चोरी व लूट हो जाने पर बैंक या कंपनी के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा या बीमा का लाभ नहीं मिलता है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बैंक मित्रों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कलस्टर निर्माण करवाना

*1979. श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-17 पिपरा)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण मेहसी में शिप बट्टन उद्योग का निरीक्षण के क्रम में मेहसी में 6 कलस्टर लगाने की घोषणा की गयी थी जिसके आलोक में दो कलस्टर का निर्माण पूर्ण हुआ एवं 2020 में उद्घाटन भी हो गया जहाँ सैकड़ों कारीगरों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन बाकी 4 कलस्टर का निर्माण अबतक नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक शेष कलस्टर का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति करना

*1980. श्री हरीभूषण ठाकुर 'बचोल' (क्षेत्र संख्या-35 बिस्फी)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला मधुबनी समाहरणालय में चतुर्थ वर्ग के पद पर नियुक्ति हेतु वर्ष 1994 ई० में 427 उम्मीदवारों की पैनल सूची बनाई गयी जिसमें विभिन्न तिथियों में वर्ष 2004 तक कुल 139 लोगों की नियुक्ति की गयी है तथा शेष उम्मीदवारों की नियुक्ति आजतक नहीं की गयी है जबकि जिला के कई विभागों में चतुर्थ वर्ग का पद रिक्त है, जिला स्था० के पत्रांक 1231, दिनांक 2 अगस्त, 2018 पर सामान्य प्रशासन एवं विधि विभाग, पटना ने नियुक्ति हेतु अपनी सहमति दे दी है, यदि हाँ, तो सरकार वर्ष 1994 ई० के पैनल सूची के शेष बचे लोगों को चतुर्थ वर्ग के पद पर नियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गिरफ्तार करना

*1981. श्री ललित नारायण मंडल (क्षेत्र संख्या-157 सुलतानगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के वारिसलीगंज थाना काण्ड संख्या 121/2018, दिनांक 23 अप्रील, 2018 के नामजद अभियुक्त श्री अंजनी सिंह एवं अन्य की गिरफ्तारी अभीतक नहीं हो पायी है यदि हाँ, तो क्या सरकार दोषी व्यक्तियों को कबतक गिरफ्तार करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1982. श्री संजय कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-30 बेलसंड)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के तरियानी प्रखंड के रेबासी एवं माधोपुरछत्ता कब्रिस्तान की घेराबंदी अबतक नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अग्निशामक केन्द्र खोलना

*1983. श्री देवेश कान्त सिंह (क्षेत्र संख्या-111 गोरेयाकोठी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत गोरेयाकोठी एवं लकड़ी नवीगंज प्रखण्ड में अग्निशामक केन्द्र नहीं है, जिसके कारण जिला से प्रखंडों में अग्निशामक यंत्र के आने में अधिक समय लगता है, यदि हाँ, तो सरकार गोरेयाकोठी एवं लकड़ी नवीगंज प्रखण्ड में अग्निशामक केन्द्र खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा खोलना

*1984. श्री देवेश कान्त सिंह (क्षेत्र संख्या-111 गोरेयाकोठी)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत लकड़ी नवीगंज प्रखण्ड के मदारपुर बाजार स्थानीय आबादी का वृहद् बाजार है जहाँ कोई राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है जिसके कारण स्थानीय व्यवसायियों तथा किसानों को बैंक नहीं रहने के कारण लेन-देन करने में काफी परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना का निर्माण कराना

*1985. श्री रणविजय साहु (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत शाहपुर पटोरी थाना का अपना भवन नहीं है और यह थाना गुलाब राय बुबना उच्च विद्यालय के अनु0 जा0 छात्रावास में चल रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त थाना के भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1986. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभाग के पत्रांक 3ए 2वें, पू.-09/2016-3922, दिनांक 7 जून, 2017 द्वारा क्षेत्रिय कार्यालय में निम्नवर्गीय लिपिक एवं उच्चवर्गीय लिपिकों का पद 60/40 के अनुपात करने हेतु पत्र प्राप्त हुआ है, जिस पर दिनांक 3 जून, 2017 तक निर्णय लेकर आदेश निर्गत किया जाना था, जो अभीतक लंबित है, यदि हाँ, तो सरकार इस दिशा में कार्रवाई का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*1987. श्री सुरेन्द्र मेहता (क्षेत्र संख्या-142 बछवाड़ा)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला अन्तर्गत बरौनी प्रखंड के असुरारी एवं बीहट ग्राम के दर्जनों किसानों की जमीन "बियाडा" के द्वारा अधिग्रहण कर उसकी घेराबंदी की गई है लेकिन अबतक कई किसानों के अधिगृहित जमीन का मुआवजा नहीं मिला है, यदि हाँ, तो सरकार शेष किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाम से निजात दिलाना

*1988. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के विक्रमगंज के तेनदुनी चौक पर हमेशा जाम लगा रहता है, जिससे आमजनता को आने-जाने में काफी परेशानी होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर जाम से निजात दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1989. मो0 आफाक आलम (क्षेत्र संख्या-58 कसबा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा प्रखंड में बोजगाँव पंचायत के बोजगाँव में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आरक्षण का लाभ देना

*1990. डॉ0 रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि 30वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन हेतु विज्ञापन संख्या 6/2018 प्रकाशित किया गया था, जिसमें महिला कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 35 प्रतिशत कोटिवार क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान था ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार के उपर्युक्त प्रावधान के विरूद्ध आयोग द्वारा अन्य राज्यों की महिलाओं को भी कटिवार क्षैतिज आरक्षण का लाभ देते हुए अनुशंसा कर दिया गया है, जिसकी वजह से राज्य की महिलाएँ आरक्षण के लाभ से वंचित हो गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दूसरे राज्यों की महिलाओं को दिये गये कोटिवार क्षैतिज आरक्षण की जांचोपरांत राज्य की महिलाओं को ही आरक्षण का लाभ देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाम से निजात दिलाना

*1991. श्रीमती मंजू अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के शेरघाटी प्रखंड मुख्यालय के बाजार में आये दिन जाम लगा रहता है जिसके कारण आमजनता को आवागमन में काफी परेशानी होती है जबकि प्रशासन द्वारा उक्त जाम से निजात दिलाने की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थानों पर लगने वाले जाम से निजात दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओबीसी सूची में संलग्न करना

*1992. श्री इजहारूल हुसैन (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला सहित सीमाचंल क्षेत्र में अधिकांश आबादी सूरजापूरी मुसलमानों की है जिसे पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में रखा गया है जबकि सूरजापूरी मुसलमान अत्यंत गरीब हैं एवं सरकारी महकमे में इनकी भागीदारी नगण्य है, यदि हाँ, तो सरकार सूरजापूरी मुसलमानों को अतिपिछड़ा वर्ग की सूची में संलग्न करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 15 मार्च, 2021 (ई0) ।

राज कुमार सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0, 128 (एल0 ए0), 2020-21-डी0टी0पी0-550